

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध कौंसिलें

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ

(उ0प्र0 सरकार द्वारा स्थापित)

डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन (2 वर्षीय)
प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के मानक

प्रास्पेक्ट्स



स्थापित - 1926

फोन : 0522-2238846, 3302100, फैक्स : 0522-2236600

ई-मेल : inspection@upsmfac.org

वेबसाइट : www.upsmfac.org

डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन :

इस हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं। स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जन स्वास्थ्य के मानकों के अनुसार प्रति 10,000 की आबादी पर एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। इमरजेन्सी एवं ट्रामा केयर टेक्नीशियन की आवश्यकता आधुनिक परिवेश में बढ़ती जा रही है। इमरजेन्सी एवं ट्रामा केयर टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये न्यूनतम योग्यता विज्ञान विषय से इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। वर्तमान में इमरजेन्सी एवं ट्रामा केयर टेक्नीशियन की उपलब्धता नहीं है। फैकल्टी द्वारा इस क्षेत्र में शल्यकों की सहायता व मरीजों को इमरजेन्सी में गोल्डन अवसर का अधिकतम लाभ उठाकर मरीजों को बेहतर उपचार के लिये यह पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। नये प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर सरलता से प्राप्त हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि फैकल्टी द्वारा संचालित प्रशिक्षण उ0प्र0 शासन की स्वरोजगार योजना में शामिल है।

डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एवं ट्रामा केयर टेक्नीशियन का कोर्स 2 वर्ष का है। चिकित्सा विज्ञान में आशातीत विकास हुआ है। बढ़ते हुये आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण के कारण कार्यक्षेत्र में दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही ट्रामा सेन्टर एवं ट्रामा मैनेजमेन्ट की आवश्यकता भी बढ़ी है। अस्पतालों में ट्रामा एवं इमरजेन्सी केयर की सुविधायें बढ़ाई गई हैं। आकस्मिक सुविधा प्रदान करने हेतु इमरजेन्सी विभाग में आपरेशन, इन्वेस्टीगेशन तथा भर्ती की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। इससे रोगी के जीवन को बचाने की अधिकतम संभावनायें बढ़ती जा रही हैं। इन सुविधाओं को प्रदान करने हेतु चिकित्सकों की मदद हेतु ट्रेन्ड पैरामेडिकल का महत्व बढ़ जाता है। ये पैरामेडिकल टेक्नीशियन केवल इमरजेन्सी मैनेजमेंट में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जिससे कि उसका उपयोग वे मरीजों के उपचार में कर सकें।

अर्ह आवेदक :-

संस्था (सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कम्पनी) आवेदन करने हेतु पात्र होगी। समस्त परिसम्पत्तियाँ आवेदक सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम होनी चाहिये।

आवेदन शुल्क – वापस नहीं होगा/अहस्तांतरणीय/एक बार ही ऑनलाईन माध्यम से जमा होगा

₹ 2,50,000+(18% GST) आवेदन-पत्र/रजिस्ट्रेशन/निरीक्षण शुल्क आन-लाईन www.upsmfac.org पर आन-लाईन आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा।

नोट – आवेदित पाठ्यक्रम हेतु संस्था के कार्यालय द्वारा निर्धारित निरीक्षण शेड्यूल में अधिकतम तीन स्थलीय निरीक्षण कराये जायेंगे।

मानक –

भूमि :

प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि एवं चिकित्सालय की भूमि आवेदित संस्था सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम होनी चाहिये।

| प्रशिक्षण केन्द्र | अस्पताल |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| भवन प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 6000 वर्गफुट एक विषय हेतु। एक से अधिक विषय हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए 2000 वर्गफुट भवन अतिरिक्त। | 50 विस्तारों का अस्पताल |

भवन प्रशिक्षण केन्द्र :

| प्रशिक्षण भवन कुल निर्मित क्षेत्र | 6000 वर्ग फुट |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| प्राचार्य कक्ष | 200 वर्ग फुट |
| केन्द्र कार्यालय | 200 वर्ग फुट |
| रिसेप्शन कक्ष | 200 वर्ग फुट |
| कक्षा (2 कक्ष) | 500 वर्ग फुट प्रति कक्ष (कुल 1000 वर्गफुट) |
| प्रयोगशाला – 1 (एनॉटमी एवं फिजियॉलाजी) | 200 वर्ग फुट |
| प्रयोगशाला-2 (डैमो ओ0टी0) | 300 वर्ग फुट |
| लाइब्रेरी | 400 वर्ग फुट |
| कामन रूम (महिला) | 150 वर्ग फुट |
| कामन रूम (पुरुष) | 150 वर्ग फुट |
| जनसुविधायें (महिला/पुरुष) | 100 वर्ग फुट |
| भंडार कक्ष/गोपनीय कक्ष | 200 वर्ग फुट |
| अडिटोरियम/कामन हाल | 2000 वर्ग फुट |
| कम्प्यूटर कम अडियो, इन्टरनेट के साथ | 300 वर्ग फुट |
| टायलेट एवं सर्कुलेशन एरिया | 600 वर्ग फुट |

अस्पताल से संबंधित विवरण :-

| क्षेत्र | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अस्पताल भवन | 50 विस्तरों का अस्पताल व साज-सज्जा के अनुसार हो। इमरजेन्सी, सी0सी0यू0, आई0सी0यू0, एन0आई0सी0यू0 हो। |
| ओ0पी0डी0 | 80 मरीज प्रतिदिन/ एकल में 30 मरीज प्रतिदिन |
| अंतः रोगी कक्ष | 50 बिस्तरों का |
| आपरेशन थियेटर | |
| मेजर | 1 |
| माइनर | 2 |
| स्टरलाइजेशन कक्ष | 1 |
| आकस्मिक चिकित्सा कक्ष - | |
| इमरजेन्सी कक्ष | सुसज्जित हो |
| इमरजेन्सी सुविधाएं | सुलभ हो |
| एक्स-रे सुविधा | उपलब्ध हो (अनिवार्य नहीं) |
| क्लीनिकल लेबोरेटरी | उपलब्ध हो |
| इमरजेन्सी चिकित्सा कक्ष | 1500 वर्गफिट में कम से कम हो एवं न्यूनतम 20 इमरजेन्सी चिकित्सा रोगी आते हैं। |
| इन्टेन्सिव केयर यूनिट | न्यूनतम 5 बेड का। |
| फायर फाइटिंग इक्यूपमेन्ट | उपलब्ध हो |
| जनसुविधाएं (शौचालय) | उपलब्ध हो |
| पेयजल | उपलब्ध हो |

इमरजेन्सी व ट्रामा केयर टेक्नीशियन से सम्बन्धित सुविधायें अनिवार्य रूप से अस्पताल के इमरजेन्सी चिकित्सा कक्ष के साथ हों :-

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुविधा |
| रोगियों के बैठने की सुविधा |
| प्रि-आपरेटिव कक्ष |
| पोस्ट-आपरेटिव कक्ष |
| आपरेशन थियेटर <ol style="list-style-type: none"> 1. माइनर 2. मेजर |
| - नर्सिंग कक्ष / सर्जन / फिजीशियन / चिकित्सा कक्ष |
| - आई0सी0यू0 |
| - सर्जरी विभाग |
| फ्रैक्चर कक्ष |
| इमरजेन्सी ट्रीटमेन्ट कक्ष (अस्पताल के साथ) |
| इन्टेन्सिव केयर यूनिट (अस्पताल के साथ) |
| - शौचालय |
| - पानी की व्यवस्था |
| - पंखे / कूलर की व्यवस्था |
| स्टोर |

अस्पताल - विशेषज्ञता के अनुरूप स्थायी अथवा विजिटिंग चिकित्सक, इनका उपयोग पठन-पाठन में किया जा सकता है।

वाहन - यदि स्कूल व ट्रेनिंग सेन्टर अलग-अलग हैं तो छात्रों के आवागमन हेतु वाहन आवश्यक है।

वित्तीय संसाधन :

- आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति का आंकलन निरीक्षक करेंगे।
- भूमि-भवन के अलावा आवेदक के नाम फिक्सड डिपोजिट हो।
- दो वर्ष की बैलेन्स शीट अथवा बैंक एकाउन्ट भी प्रस्तुत करें।
- भूमि, भवन, आदि एसेट्स भी हों।

फैकल्टी

टीचिंग फैकल्टी – 30 छात्रों की भर्ती क्षमता तक के लिये।

| क्र. सं. | फैकल्टी | योग्यता | संख्या |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | प्राचार्य | एम.बी.बी.एस./एम.एस. चिकित्सक/ पैरामेडिकल विषय विशेष में पोस्ट ग्रेजुएट | 1 |
| 2. | वरिष्ठ शिक्षक | उपरोक्तानुसार + 5 वर्ष अनुभव | 1 |
| 3. | शिक्षक | डिप्लोमा या डिग्रीधारक | 2 |
| | | कुल | 4 |

फैकल्टी

प्रशासनिक

| क्र.सं. | फैकल्टी | संख्या |
|---------|---------------------------|----------|
| 1. | क्लर्क कम अकाउंटेंट | 1 |
| 2. | कम्प्यूटर आपरेटर | 1 |
| 3. | लाइब्रेरियन/स्टोर इंचार्ज | 1 |
| 4. | चतुर्थ श्रेणी | 2 |
| 5. | सफाई कर्मचारी | 2 |
| | कुल | 7 |

फलो चार्ट :- कब, क्या, कैसे ?

(कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। उचित होगा कि मानकों का अध्ययन भली-भांति कर लें और यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें कि आपके पास मानकों के अनुसार सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं)

आवेदन करने के पूर्व आन-लाईन प्रास्पेक्टस का अध्ययन करें।

आवेदन पत्र आन लाईन www.upsmfac.org पर उपलब्ध है।
पंजीकरण एवं निरीक्षण शुल्क ₹ 2,50,000+(18% GST) आन लाईन आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा)

आन-लाईन आवेदन फार्म को पूर्ण रूप से भरकर समस्त सम्बन्धित दस्तावेज लगाकर फ़ैकल्टी कार्यालय में जमा करें।

आवेदन पत्र की जांच फ़ैकल्टी स्तर पर की जायेगी।

जाँच में उपयुक्त पाये जाने पर प्रस्तावित केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण कराया जायेगा।

निरीक्षण आख्या चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनुमति हेतु भेजी जायेगी।

उ0प्र0 शासन की अनुमति के उपरान्त कार्यालय द्वारा सम्बद्धता-पत्र निर्गत होने के पश्चात प्रशिक्षण केन्द्रों को छात्र भर्ती करने की अनुमति होगी।

शासी समिति द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क प्रतिवर्ष प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कार्यालय में जमा किया जायेगा।

छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया :-

प्रशिक्षण में प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा ही की जानी है। उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी का मात्र प्रतिनिधित्व रहेगा जिसमें कि प्रवेश प्रक्रिया में फैकल्टी के नियमों का पालन हो सके। उचित होगा कि 100 आवेदकों के होने पर लिखित व मौखिक प्रवेश परीक्षा ले ली जाये। कम आवेदनों की दशा में केवल मौखिक प्रवेश परीक्षा से कार्य चलाया जा सकता है।

यदि प्रशिक्षण केन्द्र में अनेकों प्रशिक्षण हैं तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाये व मौखिक परीक्षा के समय छात्र प्रायोरिटी पूछ ली जाये व मेरिट के अनुसार प्रदान की जायेगी।

अर्हता :-

इन्टर विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान व गणित) के उत्तीर्ण छात्र अर्ह हैं।

फैकल्टी के अलावा अन्य गैर मान्यता प्रशिक्षण नहीं :-

प्रशिक्षण केन्द्रों पर उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ही प्रशिक्षण चलाये जाने की अनुमति होगी। उ0प्र0 शासन की अनुमति प्राप्त नहीं होने वाले प्रशिक्षणों को किसी भी दशा में अनुमति प्रदान करना संभव नहीं है। यदि संस्थायें फैकल्टी अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं होने वाले प्रशिक्षण चलाती हैं तो उन केन्द्रों से फैकल्टी अपने प्रशिक्षणों की मान्यता समाप्त कर देगी।

आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले संलग्नक –

फोटोग्राफ :

1. टीचिंग ब्लॉक के सामने का, भवन के पीछे का, कक्षाओं की आन्तरिक, प्रधानाचार्य कक्ष, लाइब्रेरी, रिशेप्शन, प्रयोगशालाओं इत्यादि के फोटोग्राफ।
2. अस्पताल के सामने का, पीछे का एवं आन्तरिक विभागों का, उपकरण/उपस्कर इत्यादि को दिखाते हुये फोटोग्राफ।
3. सम्बन्धित प्रशिक्षण की विशेषज्ञता की उपलब्ध सुविधाओं को दिखलाते हुये अस्पताल के आन्तरिक फोटोग्राफ।

दस्तावेज :

4. संस्था (सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी) का अद्यतन रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।
5. संस्था के बाइलाज/मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएसन
6. प्रश्नगत पाठ्यक्रम का केन्द्र खोलने हेतु सोसा0/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा पारित रिजोल्यूशन/प्रस्ताव की प्रति।
7. संस्था की बैलेन्सशीट (पिछले 2 वर्षों की)
8. प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि (टीचिंग ब्लॉक) एवं चिकित्सालय की भूमि के मालिकाना हक का प्रमाण-पत्र/प्रपत्र (संस्था का ही हो) जो राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण (तहसीलदार) से कम न हो से प्रमाणित प्रति/खतौनी की मूल प्रति अथवा उपनिबन्धक द्वारा सत्यापित विलेख की प्रति, यदि संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो और भूमि कृषि योग्य हो तो निबन्धन धारा 143 के अर्न्तगत भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
9. टीचिंग ब्लॉक एवं चिकित्सालय का प्रमाणित मानचित्र (ब्लू प्रिन्ट)।
10. चिकित्सालय का ऑनलाईन पद्धति वाला पंजीयन प्रमाण-पत्र जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
11. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी0सी0बी0) का प्रमाण-पत्र जिसमें बेड संख्या एवं वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
12. अग्नि शमन प्रमाण-पत्र (टीचिंग ब्लॉक एवं चिकित्सालय) दोनों का ऑनलाईन पद्धति वाला स्थायी (पूर्णता कम्प्लीशन) जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
13. शपथ पत्र/वचन पत्र को रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर संलग्न करना आवश्यक है।

नोट: चिकित्सालय पंजीयन प्रमाण-पत्र/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त, वर्तमान अग्नि शमन प्रमाण-पत्र (टीचिंग ब्लॉक एवं चिकित्सालय दोनों का) स्थायी (प्रोविजनल/मैनुअल मान्य नहीं) जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो (ऑनलाईन पद्धति) की अनुपलब्धता की स्थिति में किसी भी दशा में आवेदन पत्र कार्यालय में जमा नहीं किया जायेगा।

शपथ-पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

आवेदन पत्र के साथ रुपये 100/-के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र
(आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,

लखनऊ।

1. मैं शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी संस्था (संस्था का नाम)
प्रशिक्षण केन्द्र का नाम व पता.....के द्वारा(कोर्स का नाम).....
डिप्लोमा पैरामेडिकल क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण उ0प्र0 सरकार की अनुमति के बिना नहीं चलाया जा रहा है।
2. मैं बचन देता हूँ/देती हूँ कि भविष्य में भी उ0प्र0 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पैरामेडिकल
के पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यक्रम कोई प्रशिक्षण नहीं चलाऊँगा/चलाऊँगी।
3. यह कि प्रशिक्षण केन्द्र व उससे संबंधित अस्पताल, भूमि का मालिकाना हक मेरी संस्था का ही है।
उक्त भूमि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्राधिकरण की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं है
और न ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।
4. यह कि उक्त प्रशिक्षण से संबंधित मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/सक्षम न्यायालय
अथवा न्यायिक अभिकरण में किसी भी प्रकार का दीवानी/फौजदारी वाद विचाराधीन/लम्बित
नहीं है और ना ही किसी प्रकार का स्थगन आदेश ही प्राप्त हुआ है।
5. संस्था के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हे0 भूमि है, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की
धारा 89 में उल्लिखित सीमा 5.0586 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है। (और यदि है तो धारा 89 (3) के
अर्न्तगत राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुमति प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।
6. मैं राज्य सरकार व उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों व निर्णयों का
पालन करूँगा/करूँगी। यदि संस्था द्वारा किसी भी दिशा-निर्देशों/मानकों का उल्लंघन किया
जाता है/आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख/प्रपत्र फर्जी पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता
समाप्त कर दी जाये।

दिनांक :-

सक्षम प्राधिकारी
संस्था का नाम /पता

उपकरण एवं उपस्कर :

- 1- ICU - Complete furnished and equipped
- 2- O.T.- Major Operation Theatre Complete furnished and equipped.

प्रशासनिक विभाग के लिये उपस्कर –

| S.No. | Name of the Equipment |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Computer with Modem,UPS, Printer, Internet Connection |
| 2 | Xerox Machine |
| 3 | Typewriter |
| 4 | Intercom |
| 5 | Fax Machine |
| 6 | Telephone |
| 7 | Public Address System |

शिक्षण हेतु उपस्कर–

| S.No. | Name of the Equipment |
|-------|--------------------------------------------------|
| 1 | Furniture for class room, committee/meeting room |
| 2 | O.H.P. |
| 3 | Screen |
| 4 | White/Colour boards |
| 5 | Television colour |
| 6 | VCD Player |
| 7 | Radio |
| 8 | LCD Projectors |
| 10 | Computer |

सामान्य फर्नीचर –

| S.No. | Name of the Equipment |
|-------|--------------------------------------------------|
| 1 | Doctor's chair for OP Ward, Blood Bank, Lab etc. |
| 2 | Doctor's Table |
| 3 | Duty Table for Nurses |
| 4 | Table for Sterilisation use (medium) |
| 5 | Long Benches(6 1/2' x 1 1/2') |
| 6 | Stool Wooden |
| 7 | Stools Revolving |
| 8 | Steel Cup-board |
| 9 | Wooden Cup Board |
| 10 | Racks -Steel - Wooden |
| 11 | Patients Waiting Chairs {Moulded} |
| 12 | Attendants Cots |
| 13 | Office Chairs |
| 14 | Office Table |

| | |
|----|------------------------------------------------|
| 15 | Footstools |
| 16 | Filing Cabinets (for records) |
| 17 | M.R.D.Requirements (record room use) |
| 18 | Paediatric cots with railings |
| 19 | Cradle |
| 20 | Fowler's cot |
| 21 | Ortho Fracture Table |
| 22 | Hospital Cots (ISI Model) |
| 23 | Back rest |
| 24 | Dressing Trolley (SS) |
| 25 | Medicine Almairah |
| 26 | Bin racks (wooden or steel) |
| 27 | ICCU Cots |
| 28 | Bed Side Screen (SS-Godrej Model) |
| 29 | Medicine Trolley(SS) |
| 30 | Case Sheet Holders with clip(S.S.) |
| 31 | Bed Side Lockers (SS) |
| 32 | Examination Couch (SS) |
| 33 | Instrument Trolley (SS) |
| 34 | Instrument Trolley Mayos (SS) |
| 35 | Surgical Bin Assorted |
| 36 | Wheel Chair (SS) |
| 37 | Stretcher / Patience Trolley (SS) |
| 38 | Instrument Tray (SS) Assorted |
| 39 | Kidney Tray (SS) - Assorted |
| 40 | Basin Assorted (SS) |
| 41 | Basin Stand Assorted (SS) |
| | (2 basin type) |
| | (1 basin type) |
| 42 | Delivery Table (SS Full) |
| 43 | Blood Donar Table |
| 44 | 02 Cylinder Trolley(SS) |
| 45 | Saline Stand (SS) |
| 46 | Waste Bucket (SS) |
| 47 | Dispensing Table Wooden |
| 48 | Bed Pan (SS) |
| 49 | Urinal Male and Female |
| 50 | Name Board for cubicals |
| 51 | Kitchen Utensils |
| 52 | Containers for kitchen |
| 53 | Plate, Tumblers |
| 54 | Waste Disposal - Bin / drums |
| 55 | Waste Disposal - Trolley (SS) |
| 56 | Linen Almairah |
| 57 | Stores Almairah |
| 58 | Arm Board Adult |
| 59 | Arm Board Child |
| 60 | SS Bucket with Lid |
| 61 | Bucket Plastic |
| 62 | Ambu bags |
| 63 | O ₂ Cylinder with spanner ward type |

| | |
|----|-----------------------------------|
| 64 | Diet trolley - stainless steel |
| 65 | Needle cutter and melter |
| 66 | Thermometer clinical |
| | Thermometer Rectal |
| 67 | Torch light |
| 68 | Cheatles forceps a ssorted |
| 69 | Stomach wash equipment |
| 70 | Infra Red lamp |
| 71 | Wax bath |
| 72 | Emergency Resuscitation Kit-Adult |
| 73 | Enema Set |

सामान्य पुस्तकें –

| | | |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ajmani | Embalming: Principles and Legal Aspects, 1/e |
| 2 | Gandotra | Gross Anatomy workbook, 1/e |
| 3 | Jain | General Anatomy for Students, 2/e |
| 4 | Kapur | Ess. Of Surface & Radiological anatomy, 2/e |
| 5 | Kant | Embryology for Medical Students |
| 6 | Singh | Essentila of Anatomy, (all in four colour) 1/e, 2002 |
| 7 | Singh | A TB of Human Osteology, 2/e, 2002 |
| 8 | Feneis | Pocket Atlas of Human Anatomy |
| 9 | Panda | Concise Pocket Medical Dictionary, 1/e |
| 10 | Panda | Jaypee's Dental Dictionary,1/e |
| 11 | Panda | Jaypee's Nurses' Dictionary, 1/e |
| 12 | Rikh | Pocket Medical English Hindi Dictionary, 14/e, 1/e Ind. |
| 13 | Dorland | Dorland dictionary, 29/e 2000 |
| 14 | Dorland | Dorland's Pocket Medical Dictionary, 26/e, 2001 |
| 15 | Bijlani | Understanding Medical Physiology, 3/e, 2002 |
| 16 | Ratan | Handbook of Human Physiology, 7/e |
| 17 | Despopoulos | Color Atlas of Physiology, (Sp. Price) |
| 18 | Mahajan | Methods in Biostatistics, 6/e |
| 19 | Prabhakaran | Biostatistics , 1/e,2002 |
| 20 | Rao | Biostatistics: The Manual of Statistical Methods for use in Health & Nutrition, 1/e |
| 21 | Singh | Elementary Statistics for Medical Workers, 1/e |
| 22 | Dave | Emergency Medical Services & Disaster Management,1/e,2001 |
| 23 | Dogra | aids to Clinical Medicine |
| 24 | Garg | Synopsis of AIDS,2/e |
| 25 | Gupta | Manual of Medical Emergencie,2/e |
| 26 | Krishna Das | TB of Medicine ,4/eVol.I,II,2002 |
| 27 | Mohaptra | Occupation, Health Hazards and Remedies |

| | | |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Mogli | Medical Records Organization and Management |
| 29 | Prasad | TB of Medicine (Hindi) |
| 30 | Suratt | Manual of Medical Procedures, 1/e Ind. |
| 31 | Nambi | Psychiatry for Nurses, 1/e |
| 32 | Ray | Yogic Exercises : Physiologic and Psychic Processes 1/e |
| 33 | Bhatia | Rabies the Killer Disease, 1/e |
| 34 | Chaube | Consumer Protection and The Medical Profession |
| 35 | Francis | Medical Ethics 1/e |
| 36 | Greenberg | The Birth of a Father 1/e Ind. |
| 37 | Gupta | Addiction 1/e |
| 38 | Gupta | Manual of First Aid 2/e Hindi |
| 39 | Gupta | Manual of First Aid: Manag. of General Injuries, Sports Injuries & Common ailments 5/e |
| 40 | Gupta | Outline of Sports medicine 2/e |
| 41 | Jaiswal | Consumer Protection act and The Medical Practitioners 1/e |
| 42 | Meador | A Little Book of Doctors' Rules 1/e 1/e Ind |
| 43 | Mogli | Medical Records Organization and Mangement |
| 44 | Moss | Health Manual A Self Help Guide 1/e Ind |
| 45 | Nayyar | Tell Me About Me : The Living Machine-Basic human Anat. 1/e |
| 46 | Panda | Handbook for Medical Representatives 1/e |
| 47 | Prakash | Medical Adult |
| 48 | Singhals | Medical Ethics |
| 49 | Urs | Networking Organisation of Health Science Laboratories |
| 50 | Bijlani | Nutrition: A Practical Approach 1/e |
| 51 | Chandra | Poshan & Swastha, 1/e (Hindi) |
| 52 | Ghosh | Nutrition and Child care: A Practical Guide 1/e (Hindi) |
| 53 | Gupta | Food & Nutrition: Facts and Figures 5/e |
| 54 | Indrani | Ess. of Nutrition and Therapeutic Diet (2 Vols) |
| 55 | Mazumdar | Essentials of Human Nutrition |
| 56 | Salins | Nutrition Guide 1/e |
| 57 | Virk | Lecture notes in Nutrition |
| 58 | Boyle | Personal Nutrition 4/e 2001 |
| 59 | Mahan | Krauses Food, Nutrition and Diet Therapy 10/e |
| 60 | Way | Nutrition Secrets 1/e 1/e Ind |
| 61 | WHO | Guidelines for training Community Health Workers in Nutri. |
| 62 | WHO | Nutrition Learning Packages 1/e Ind |
| 63 | Williams | Basic Nutrition and Diet Therapy 11/e |